

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :128 / प्र०३०-भवन / जोन-४ / २०१३-१४ दिनांक १७/०१/२०१५

अनुमति—पत्र

यह अनुमति ००४० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास (अफॉडब्ल) मानचित्र स्थोक्त किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निलियत या स्वामित्व के अधिकारों के विलङ्घ कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री मुरलीधर अग्रवाल पुत्र श्री गाँठुर दास अग्रवाल, श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री मुरलीधर अग्रवाल, श्रीमती रेणू अग्रवाल पुत्री श्री मुरलीधर अग्रवाल, श्री अजय अग्रवाल, श्री भगवान अग्रवाल व अन्य द्वारा आराजी संख्या-२१६/१ एवं २१६MI ग्राम महेश्वा पट्टी पूरब उपरहार, परगना औरल, तहसील-करछना, जिला इलाहाबाद के जोन संख्या (४) के अन्तर्गत समूह आवास (अफॉडब्ल हाउस) भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्थीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्थीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक ११-१२-२०१४ के द्वारा निर्मांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

१. ००४० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५८ (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या-२-१.८ एवं ३.१.८ में नियरित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्थीकृति अनंतिम (Provisional) स्थीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक गोई लगाकर प्राविकरण द्वारा स्थीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें अफिकेटर/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।(छायाचित)
४. स्थल पर ५० वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का होगा।
५. रेनवाटर हार्डसिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ०ड०आर० अवमुक्त किया जायेगा।
६. सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन कियें, वार्षिक रूप में अनिवार्य रूप से किया जाय।
७. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
८. ग्रीन बोल्ट/पार्क के अन्तर्गत रिचार्ज/टैक एक कोने में बनाना होगा।
९. ००४० अपार्टमेन्ट एक्ट २०१० एवं रूल्स २०११ का अक्षरशः पालन करना होगा।
१०. उप निदेशक तकनीकी फॉर्म विविध इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक १४ नवम्बर, २०१३ एवं मुख्य अभियन्ता-विद्युत पत्र संख्या-१४०८ /मु०अ००१० दिनांक २९.०३.२०१४ में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

11. प्रस्तावित मानचित्र की स्थीकृति 139 आवासीय इकाई (अर्फाडेशुल) तथा अनुमत्य की जा रही है। अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
12. समूह आयास परिसर में ट्रान्सफार्मर एवं वेस्ट मेट्रियल (कूड़ा करकट एकत्रीकरण) हेतु स्थान अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखा जाय।
13. परिसर में स्ट्रीट लाईट सोलर लेट द्वारा उर्जाकृत की जाय।
14. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु प्रत्यक्षत व्यायानुसान में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
15. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सच्चाई कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तरित किया जा सकता है।
16. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
17. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो ३०३० नार नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
18. यह स्थीकृत पत्र केवल पौँच वर्ष की अवधि के लिए है।
19. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग, अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थामी तेजार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
20. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
21. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नीव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
22. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्थीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।


पुष्कर श्रीवास्तव
प्रभारी अधिकारी (त०स०-२)